न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–391 / 2022–23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

संजय टुटी...आवेदक / विक्रेता

बनाम

जॉन बोदरा..विपक्षी / क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

16.12.2023

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती संजय टुटी पिता/पति स्व0 विरेन टुटी ग्राम–कालामाटी, पो0–फुदी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा(एकड़ में)
कालामाटी	216	114	1701	0.25
		115	1703	0.05
				0.30

आवेदकगण/आवेदिकागण के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती संजय टुटी पिता/पति स्व0 विरेन टुटी ग्राम–कालामाटी, पो0–फुदी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती जॉन बोदरा पिता/पति मसीह बोदरा ग्राम–कदमा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0138033424 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 808 दिनांक 02.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका का खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम सोहराई मुण्डा है। आवेदक पंजी II रैयत मे से एक के परपोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 84 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवारी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य

है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण मे शपथ पत्र संख्या 1298 दिनांक 28.01.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2022/54242 दिनांक 02.04.2022 वो अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHRC/2022/86215 दिनांक 12.03.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 808 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती संजय टुटी पिता/पति स्व0 बिरेन टुटी ग्राम–कालामाटी, पो0–फुदी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती जॉन बोदरा पिता/पति मसीह बोदरा ग्राम–कदमा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं0 114, 115 खेसरा संख्या 1701, 1703 क्रमश रकबा 0.25 एवं 0.05 एकड़ कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2024.01.11 12:42:24 +05:30
Location: 192.168.1.104